**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1658

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव**

1658. डा॰ विकास महात्मेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना से वर्ष-वार कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार आया है; और

(ग) इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए लाए गए नये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्यपाल सिंह)**

(क): स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न योजना कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानी जाने वाली एक जारी केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों सहित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के कक्षा-I से VIII में पढ़ रहे सभी स्कूली बच्चों का कवर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत औसत आधार पर नामांकित और लाभ प्राप्त छात्रों की संख्या निम्नवत है:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | |
| नामांकन | कवरेज | नामांकन | कवरेज | नामांकन | कवरेज |
| 131651329 | 100325867 | 129312142 | 97770853 | 123262644 | 95184725 |

(ख) और (ग): मध्याह्न भोजन योजना का एक उद्देश्य पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। मध्याह्न भोजन योजना दिशा-निर्देशों में योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित पोषण तत्व निर्धारित हैं:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| मद | प्राइमरी कक्षा के बच्चों हेतु | उच्च प्राइमरी कक्षा के बच्चों हेतु |
| क) पोषण मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन) | | |
| कैलोरी | 450 | 700 |
| प्रोटीन | 12 ग्राम | 20 ग्राम |
| ख) खाद्य मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन) | | |
| खाद्य-अनाज | 100 ग्राम | 150 ग्राम |
| दाल | 20 ग्राम | 30 ग्राम |
| सब्जी | 50 ग्राम | 75 ग्राम |
| तेल एवं वसा | 5 ग्राम | 7.5 ग्राम |
| नमक और मसालें | जरूरत के अनुरूप | जरूरत के अनुरूप |

मध्याह्न भोजन योजना में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय डिवार्मिंग डे (एनडीडी) के तहत डिवार्मिंग मेडिसिन और विकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम (डब्ल्यूआईएफएस) के तहत आयरन एंड फोलिक एसिड (आईएफए) टेबलेट प्रदान की जाती हैं।

**\*\*\*\*\***